रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032020-218624
CG-DL-E-12032020-218624

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 915] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2020/फाल्गुन 16, 1941
No. 915] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2020/PHALGUNA 16, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

का.आ. 1019(अ).—मंत्रालय की प्रारुप अधिसूचना का.आ. 1967(अ), दिनांक 3 जून, 2016 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य 32⁰31'35" उ से 32⁰-34'32" उ अक्षांश और 76⁰00'60" पू से 76⁰03'76" पू देशांतर के बीच स्थित है। काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य चम्बा जिला के चम्बा उप-संभाग में स्थित है और चम्बा वन्यजीव संभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की धारा 26 (ए) के अधीन हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं.एफएफई-बी-एफ (6)11/2005-II-दिनांक 7 जून, 2013 पुखरी गल्ला से देवीघाटू के अनुसार काला टॉप- खजियार वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा की सीमा का वर्णन तक किया गया है और इसके बाद डी पी एफ खजरोथ की सीमाओं के साथ काला टॉप आर-एफ-सी 11 तक जाती है; जबकि पूर्वी सीमा देवी घाटू से खजियार डी पी एफ की सीमा के साथ कंजरेदी नाला तक जाती है और इसके बाद भगोल में प्रारंभिक स्थल है भगोल से दक्षिणी भाग की सीमा आरंभ होती है और झुरदू रिज से होते हुए पोहल्नी मंदिर तक जाती है। जबकि पोहल्नी मंदिर से पश्चिमी क्षेत्र काला टॉप रिज़र्व वन की सीमा के साथ काला टॉप रिज़र्व वन, सी-11 तक है। संरक्षित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 17.17 वर्ग किलोमीटर है;

और, काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रेणी के धौलाधार श्रेणी के पश्चिमी छोर पर स्थित है और उच्चतम ऊंचाई को दर्शाता है जिसके बाद धौलाधार रावी नदी की ओर नीचे होता जाता है। इस अभयारण्य का नाम प्रसिद्ध ऐतिहासिक *'खज्जी नाग" मंदिर और* काला टॉप के घने वनों से व्युत्पन्न हुआ है। आरंभ से, यह अभयारण्य 1958 में काला टॉप और खजियार क्षेत्र की सीमा के 19.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अधिसूचित किया गया था। पक्षियों और पशुओं के ऋतु प्रवास के दृष्टिकोण से ऋतु के आधार पर उच्चतर ऊंचाई से निम्नतर ऊंचाई तक और इसके विपरीत इस अभयारण्य की सीमा को उत्तर में रावी नदी की ओर आगे बढ़ाने को आवश्यक माना गया था। वन्यजीवों को बफर जोन प्रदान करने और उसके अनुसार वन्यजीवों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी परिकल्पना की गई थी। अधिसूचना को दिनांक 26 सितंबर, 1989 की अधिसूचना सं.6-2/73 एस एफ-IV द्वारा संशोधित किया गया था और इस अधिसूचना के अनुसार इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 69.47 वर्ग किलोमीटर है और 32⁰ 31'35" उ से 32⁰34'32" उ अक्षांश और 76⁰00'60" पू देशांतर से 76⁰03'76" पू के बीच स्थित है। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं.एफएफई-बी-एफ (6)-11/2005-II दिनांक 7 जून, 2013 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26 (ए) के अनुसार काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा को संशोधित कर 17.17 वर्ग किलोमीटर किया गया था। काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य चम्बा जिला के चम्बा एवं डलहौजी उप-संभागों में स्थित है और चम्बा वन्यजीव संभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है;

और, काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र को मौटे तौर पर तीन मुख्य प्रकारों घने वनों, झील चरागाह और अल्पाइन चरागाह के छोटे हिस्से में विभाजित किया जाता है। घने वनों में कुछ ओक और रहोडोडेंड्रोन के साथ परिपक्व मिश्रित देवदार, स्प्रूस और देवदार वन होते है। वन में झाड़-झंरवाड़ काफी हैं, कुछ स्थानों में घने हैं और घास से ढके हैं। काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य की जलवायु विविधता और विविध पर्यावरणीय पारिस्थितियां समान रूप से विविध पर्यावासों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ विविध जीव रूपों को आश्रय प्रदान करती है। यह क्षेत्र प्रचुर और विविध पौधों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों की कुल संख्या 232 है जो पौधों के 76 परिवारों और 218 जेनेरा (वंश) से संबंधित है। अभयारण्य की महत्त्वपूर्ण वनस्पति देवदार (केररूस *देवदार*), कैल (पिनुस वाल्लीचिअना), स्प्रूस (पिकेया स्मिथअना *समिथिआना*), सिलवर फिर (अबिइस पिन्डवो), तेजपत्ता (किन्नामोनुम टमाला*), शिंगली मिंगली (डिओस्कोरिया डेलटरोदिया), टोव (पारिस फोल्यफयल्ला), बन काकरी (पोडोफाइलम हेक्सैंड्रम)*, व्होर्लेड **सोलोमन-सील** (पोलीगोनातुम *वरटीकिलातुम),* ब्राह्मी *(*तक्सुस *वाल्लीचिअना), तेजफल (*ज़ांथोक्सिलम *अरमतुम)*, आदि हैं। काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य में 100 औषधीय पौधों की प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं; जिनमें से संकटापन्न पौधों की श्रेणी के अंतर्गत 7 प्रजातियां अर्थात् *चिन्नामोनुम टमाला, डीओस्कोरेया डेलटोआडिया, पारिस*

पॉलीपिल्ला, पोडोफयल्लुम हेक्सान्द्रुम, पॉलीगोनैटम वेरटीकिल्लातुम, *टैक्सउस वाल्लीचिअना, जान्थोक्सीलुम अरमातुम* आती हैं;

और, यह अभयारण्य लुप्तप्राय कस्तूरी मृग के लिए अच्छा प्राकृतिक वास है। यहां अन्य जीवजंतु प्रजातियां तेंदुआ बिल्ली (परिओनाइलुरूस बेंगालेंसिस), सामान्य तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्घूस*), काला भालु (***उरसुस थिबेटानुस***), चम्बा सेक्रेड लंगूर (*सेम्नोपिथेकस अजाक्स*), हिमालयन गोरल (*नएमोरहेड्डस गोरल*), येलो थ्रोटेड मार्टिन (मार्टेस *फ्लैविगुला*), कोकलास (*पुकरासिया माक्ररोलाफा*), कालिज (*लोफुरा लेउकोमेलानुस*), स्टैप्पे ईगल(*अक्यूइला निपालेंसिस*), हिमालय गरीफ्फोन गिद्ध (*गयप्स हिमालयंसिस*), आदि पाई जाती हैं। जीवजंतु विविधता में, अभयारण्य में स्तनधारियों की 16 प्रजातियां, पक्षियों की 110 प्रजातियां पाई जाती है;

और, काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट हैं, को सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य के चम्बा जिला के काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 500 मीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 500 मीटर तक विस्तृत होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 9.95 वर्ग किलोमीटर है।

(2) काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सीमांकन काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख** और **उपाबंध-IIग** के रूप में संलग्न है।

(4) काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) राजस्व;

(vi) नगरपालिका;

(vii) कृषि;

(viii) ग्रामीण विकास;

(ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग; और

(xii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–**(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**-आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–**(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

)ङपारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्न (ानुसार विनियमित किए जाएंगे-:अर्थात् ,

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**-पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**-ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.**-वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाईयां.**-(i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, सहित उसके अधीन बने नियमों 2006और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980) 1980 का (69, भारतीय वन अधिनियम, (16 का 1927) 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (53 का 1972) 1972 ,सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**टिप्पणी** **(3)**
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।

7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोटो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।

14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
23.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	उप-संभागीय मजिस्ट्रेट चम्बा / डलहौजी या उनके प्रतिनिधि	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	संभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक)	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	संभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव)	सदस्य;

6.विचारार्थ विषय:-(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस

अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/20/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

हिमाचल प्रदेश राज्य में काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उतर: पुखरी गल्ला से देवी घाटू और इसके बाद डीपीएफ खजरोथ की सीमाओं के साथ काला टॉप रिज़र्व वन-सी-11 तक जाती है।

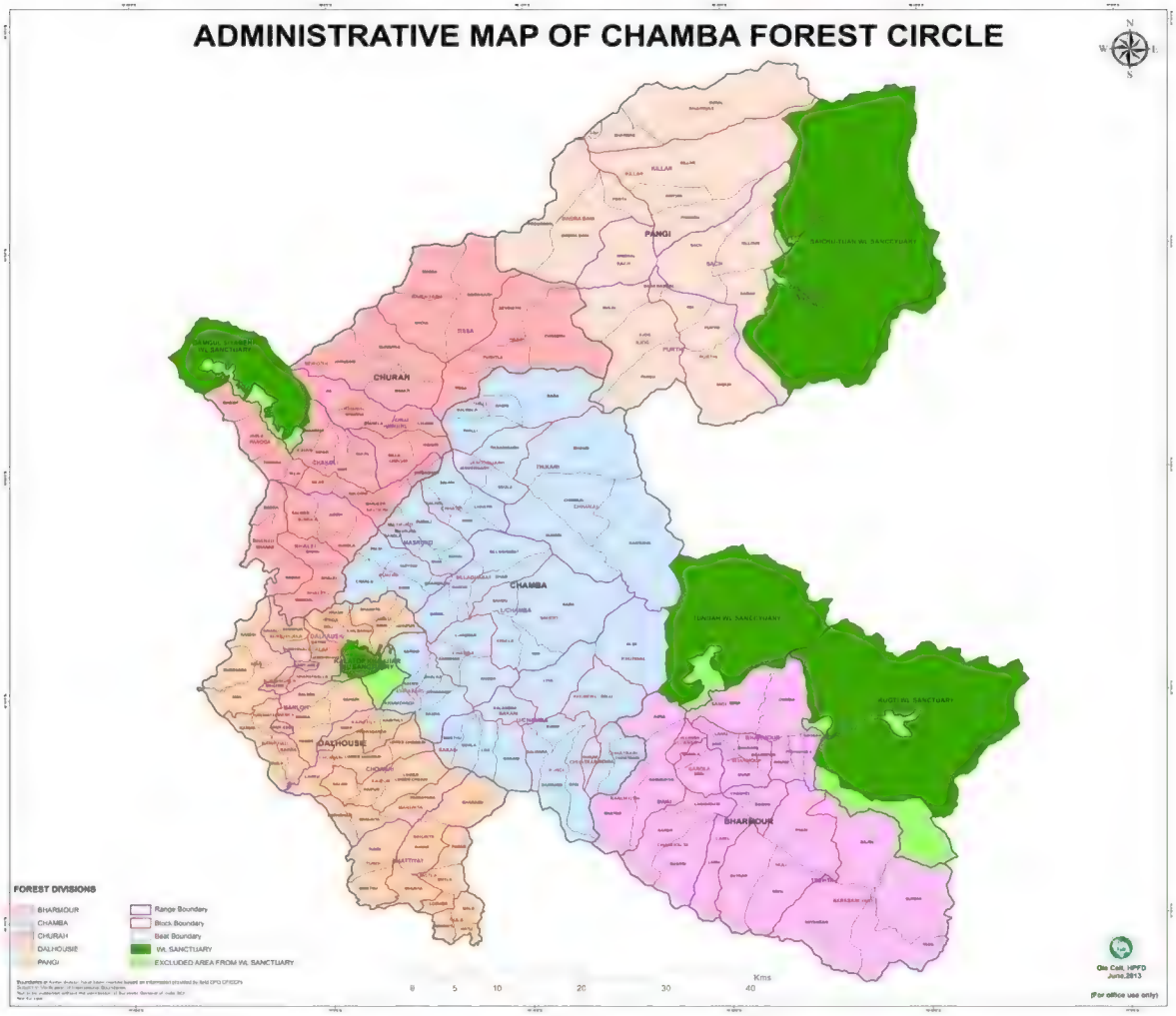
पूर्व: देवी घाटू से खजियार डी पी एफ की सीमा के साथ कनजरेदी नाला तक और इसके बाद भगोत में इसके आरंभिक स्थल तक है।

दक्षिण: भगोत से झूरदू रिज से होते हुए पोहल्ली मंदिर तक है।

पश्चिम: पोहल्नी मंदिर से काला टॉप आर एफ की सीमा के साथ काला टॉप आर एफ सी-11 तक हैं।

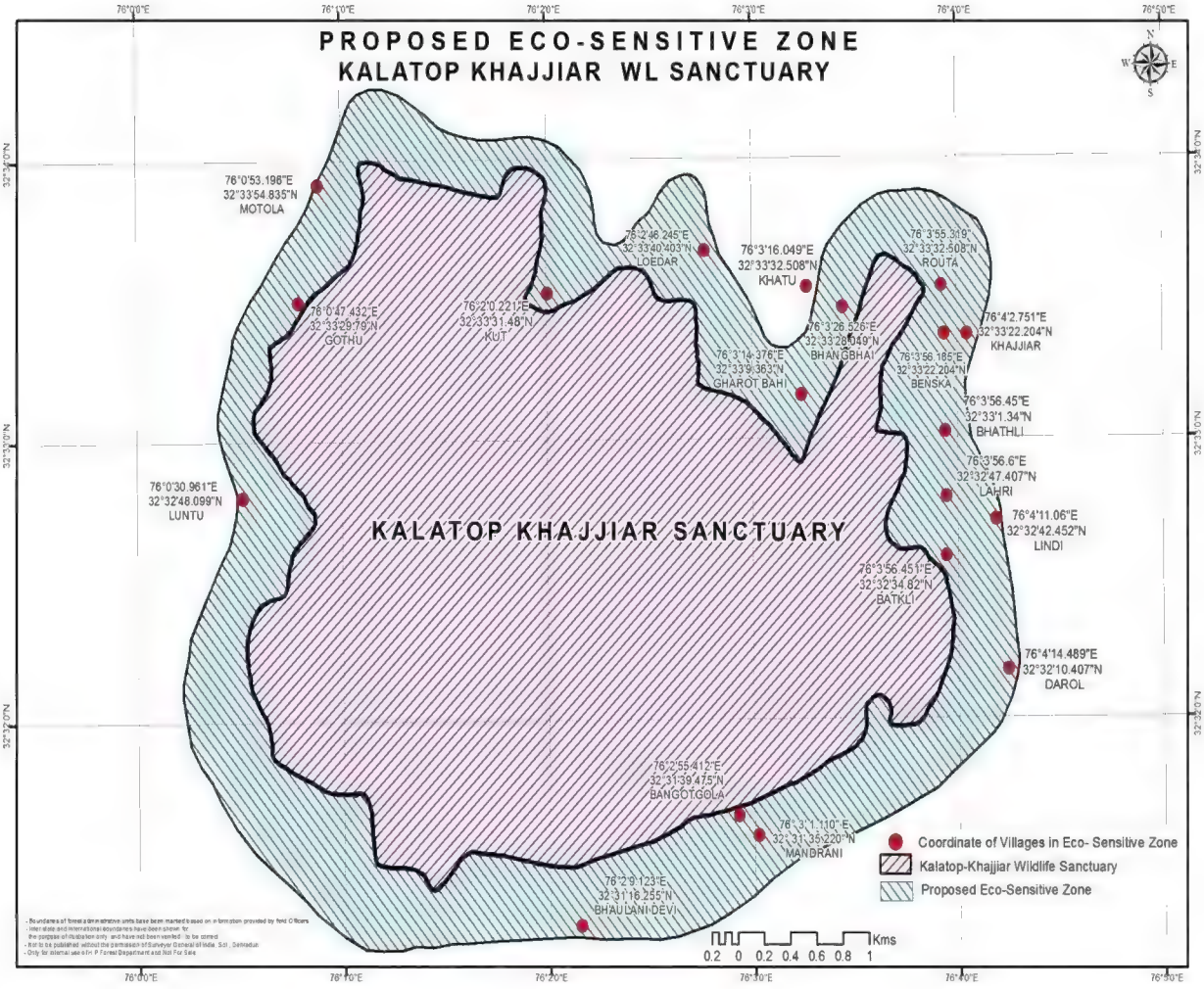
उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चम्बा वन सर्कल का प्रशासनिक मानचित्र



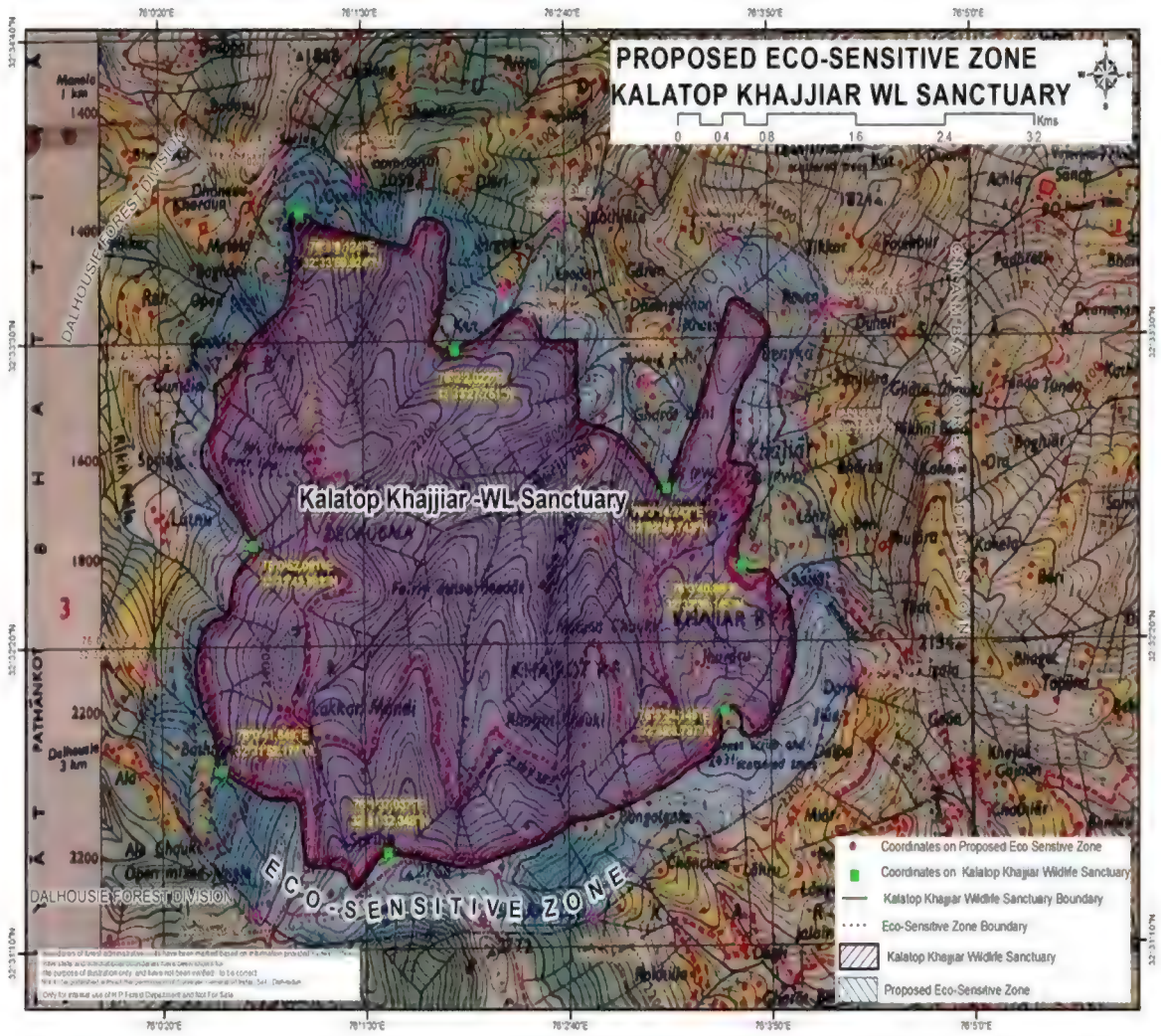
उपाबंध-IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-IIIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर (उ)	अक्षांश (पू)
1.	32°31'52.177"उ	76° 0'41.649"पू
2.	32°31'32.348"उ	76°1'37.037"पू
3.	32°32'3.787"उ	76° 3'34.145"पू
4.	32°32'38.145"उ	76° 3'40.86"पू
5.	32°32'55.743"उ	76°3'14.242"पू
6.	32°33'27.751"उ	76°2'0.22"पू
7.	32°33'59.924"उ	76°1'9.124"पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर (उ)	अक्षांश (पू)
1.	32°33'22.077"उ	76°0'26.976"पू
2.	32°32'13.714"उ	76°0'14.248"पू
3.	32°31'18.161"उ	76°0'51.956"पू
4.	32°31'16.464"उ	76°2'48.088"पू
5.	32°32'11.784"उ	76°4'18.106"पू
6.	32°33'11.227"उ	76°4'2.283"पू
7.	32°33'36.044"उ	76°4'10.416"पू

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ काला टॉप-खजियार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	देशांतर (उ)	अक्षांश (पू)
1.	लूटनु	32°32'48.099"उ	76° 0'30.961"पू
2.	गोथलु	32°33'29.79"उ	76° 0'47.432"पू
3.	मोटोला	32°33'54.835"उ	76° 0'53.196"पू
4.	कुट	32°33'31.48"उ	76° 2'0.221"पू
5.	लोधारी	32°33'40.403"उ	76° 2'46.245"पू
6	घरात बाही	32°33'9.363"उ	76° 3'14.376"पू
7.	भांग बेही	32°33'28.049"उ	76° 3'26.526"पू
8.	खलटु	32°33'32.508"उ	76° 3'16.049"पू
9.	रोउटा	32°33'32.508"उ	76° 3'55.319"पू
10.	बेनस्का	32°33'22.204"उ	76° 3'56.185"पू
11.	खजियार	32°33'22.204"उ	76° 4'2.751"पू
12.	लहरी	32°32'47.407"उ	76° 3'56.60"पू
13.	लिंदी बेही	32°32'42.452"उ	76° 4'11.06"पू
14	भाथली	32°33'1.34"उ	76° 3'56.45"पू
15.	डरोल	32°32'10.407"उ	76° 4'14.489"पू
16.	बाथली	32°32'34.82"उ	76°3'56.451"पू
17.	बांगोटगोला	32°31'39.475"उ	76° 2'55.412"पू
18.	पोहलानी देवी	32°31'16.255"उ	76° 2'9.123"पू

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी शामिल है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2020

S.O. 1019(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 1967 (E), dated 3rd June, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary is situated between $32^0$31'35" N to 32^0-34'32" N latitudes and $76^0$00'60" E to $76^0$03'76" E longitudes. The Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary is located in Chamba sub-division of Chamba district and falls under the administrative control of Wildlife Division Chamba. The Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary as per Government of Himachal Pradesh Notification No. FFE-B-F (6)-11/2005-II dated 7th June, 2013 under Section 26(A) of the Wildlife (Protection) Act,1972 described the limits as North boundary has Pukhari Galla to Devi Ghatu and then along with the boundaries of DPF Khajroth up to Kalatop RF – C-11; while eastern bordered from Devi Ghatu along with the boundary of Khajjiar DPF to Kanjredi Nalla and then up to its origin point at Bhagot. The boundary of Southern side begins from Bhagot through Jhurdu Ridge up to Pohlani Temple, while western region with Pohlani Temple along the boundary of

Kalatop Reserve Forest up to Kalatop Reserve Forest, C-11. The total area of the Protected Area is 17.17 square kilometers;

AND WHEREAS, Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary in the Western Himalayan mountain ranges is located on the Western extremity of Dhauladhar Range and exhibits the highest elevation after which the Dhauladhar dips down towards Ravi River. This Sanctuary derives its name from the famous historical *"Khajji Nag"* temple and dense forests of Kalatop. Initially, this Sanctuary was notified in 1958 with an area of 19.62 square kilometers limited to Kalatop and Khajjiar area. In view of the seasonal migration of birds and animals from higher elevation to lower elevation and vice-versa depending upon the season it was felt necessary to further extend the boundary of this sanctuary towards North upto Ravi River. This was also envisaged to provide a buffer zone to the Wildlife and ensure effective protection of wildlife accordingly. The notification was revised during 1989 *vide* No. 6-2/73 SF-IV dated 26th September, 1989 and as per this Notification the total area of this Sanctuary was 69.47 square kilometers and situated between 32^0 31'35" N to $32^0$34'32" N latitudes and $76^0$00'60" E to $76^0$03'76" E longitudes. The limit of the Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary was further revised to 17.17 square kilometers as per Government of Himachal Pradesh Notification No. FFE-B-F (6)-11/2005-II dated 7th June, 2013 under Section 26(A) of the Wildlife (Protection) Act, 1972. The Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary is located in Chamba & Dalhousie sub-divisions of Chamba district and falls under the administrative control of Wildlife Division Chamba;

AND WHEREAS, the Kalatop Khajjiar Sanctuary area can broadly be divided into three main types *viz*, dense forests, lake meadow and small portion of alpine pasture. Dense forests consist of mature mixed fir, spruce and deodar forests with some oak and rhododendron. Undergrowth in the forest is well developed, dense in places and with a good cover of grass. The diverse climate and the varied environmental conditions prevailing in Kalatop Khajjiar Wildlife sanctuary support diverse habitat and ecosystems with equally diverse life forms. This area is known for its rich and diverse plant wealth. In this area total number of plant species is 232 belonging to 76 families and 218 genera. The important flora of the Sanctuary deodara (*Cedrus deodara*), kail (*Pinus wallichiana*), spruce (*Picea smithiana*), silver fir (*Abies pindrow*), tejpatta (*Cinnamonum tamala),* shingli mingli *(Dioscorea deltoidea),* tow *(Paris polyphylla),* ban kakri *(Podophyllum hexandrum),* whorled Solomon's-seal (*Polygonatum verticillatum),* brahmi *(Taxus wallichiana),* tejphal *(Zanthoxylum armatum)*, etc. Out of 100 medicinal plant species recorded from the Kalatop Khajjiar Wildlife Sanctuary, 7 species *viz*; *Cinnamonum tamala, Dioscorea deltoidea, Paris polyphylla, Podophyllum hexandrum, Polygonatum verticillatum, Taxus wallichiana, Zanthoxylum armatum* fall in the category of threatened plants;

AND WHEREAS, the Sanctuary is a good habitat for endangered Musk deer. Other faunal species found here are leopard cat (*Prionailurus bengalensis*), common leopard (*Panthera pardus*), black bear (*Ursus thibetanus)*, chamba sacred langur (*Semnopithecus ajax*), Himalayan goral (*Naemorhedus goral*), yellow throated marten (*Martes flavigula*), koklash (*Pucrasia macrolopha*), kaleej (*Lophura leucomelanos*), steppe eagle (*Aquila nipalensis*), Himalayan griffon vulture (*Gyps himalayensis*), etc. In the faunal diversity, 16 species of mammals, 110 species of birds are found in the Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 500 meters around the boundary of Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary, in Chamba district in the State of Himachal Pradesh as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

2. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.**–(1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent of 500 meters around the boundary of Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-Sensitive Zone is 9.95 square kilometres.

(2) The boundary description of Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**.

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-Sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Revenue;
(vi) Municipal;
(vii) Agriculture;
(viii) Rural Development;
(ix) Irrigation and Flood Control;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department; and
(xii) Himachal Pradesh State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by the State Government**.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.–(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of

the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.-(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-**Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-**Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-Medical Waste.**–Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management**.-The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.-**The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.**–The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-	Regulated as per the applicable laws.

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	Timber Forest produce.	
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Introduction of exotic species.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification. -** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Sub-Divisional Magistrate Chamba /Dalhousie or his representative	Chairman, ex officio
(ii)	Divisional Forest Officer (Territorial)	Member;
(iii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(v)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(vi)	Representative of Himachal Pradesh Pollution Control Board	Member;
(vii)	Divisional Forest Officer (Wildlife)	Member-Secretary.

6. Terms of reference.–(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/20/2016-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF KALATOP-KHAJJIAR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECOSENSITIVE ZONE IN THE STATE HIMACHAL PRADESH

North: Pukhari Galla to Devi Ghatu and then along with the boundaries of DPF Khajroth up to Kalatop Reserve Forest – C-11.

East: From Devi Ghatu along with the boundary of Khajjiar DPF to Kanjredi Nalla and thenup to its origin point at Bhagot.

South: From Bhagot through Jhurdu Ridge up to Pohlani Temple.

West: Pohlani Temple along the boundary of Kalatop RF up to Kalatop RF C-11.

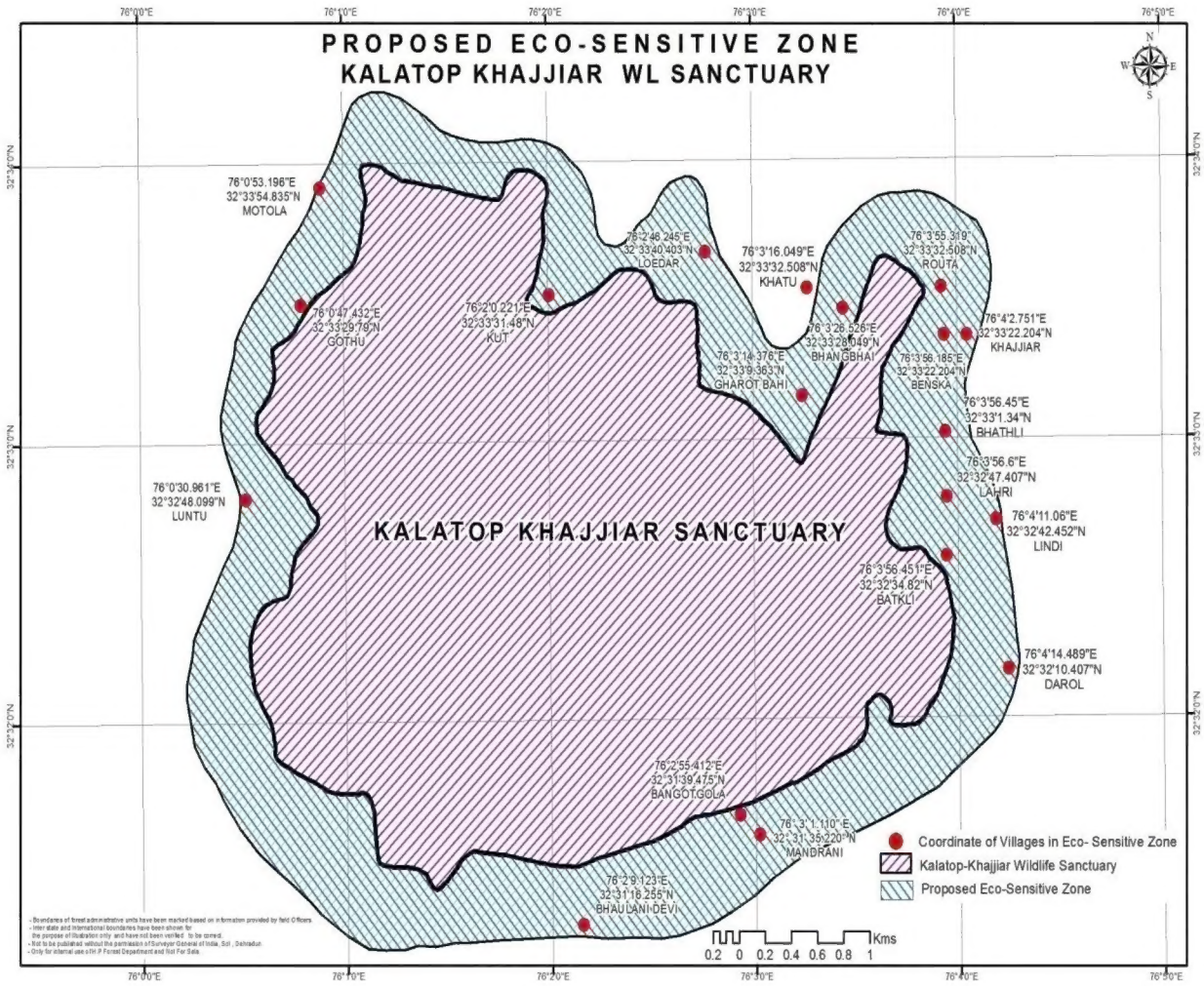
ANNEXURE-IIA

ADMINISTRATIVE MAP OF CHAMBA FOREST CIRCLE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



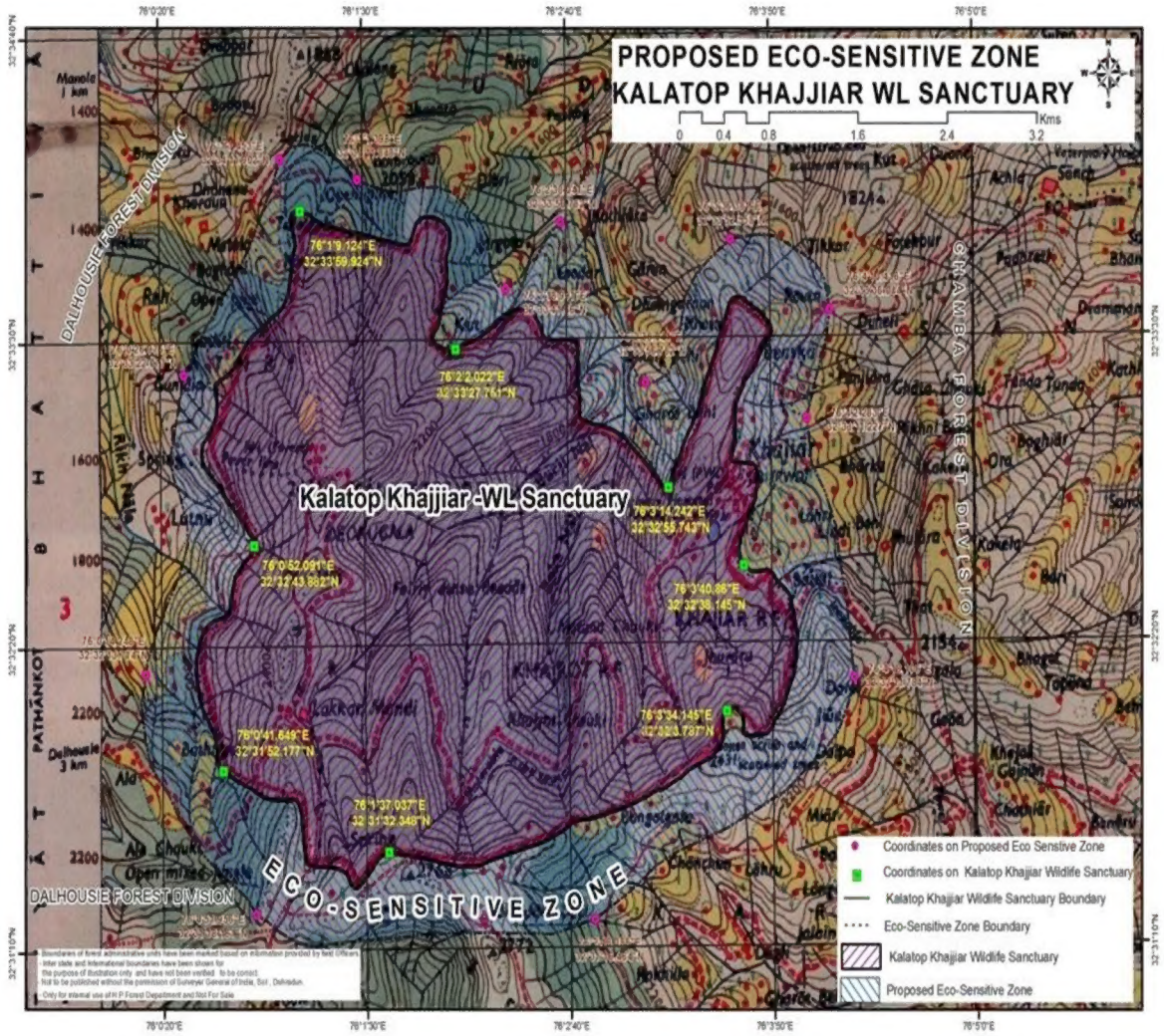
ANNEXURE-IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KALATOP-KHAJJIAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KALATOP-KHAJJIAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KALATOP-KHAJJIAR WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Longitude (N)	Latitude (E)
1.	$32^0$31’52.177’’N	76^0 0’41.649’’E
2.	$32^0$31’32.348’’N	$76^0$1’37.037’’E
3.	$32^0$32’3.787’’N	76^0 3’34.145’’E
4.	$32^0$32’38.145’’N	76^0 3’40.86’’E
5.	$32^0$32’55.743’’N	$76^0$3’14.242’’E
6.	$32^0$33’27.751’’N	$76^0$2’0.22’’E
7.	$32^0$33’59.924’’N	$76^0$1’9.124’’E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl No.	Longitude (N)	Latitude (E)
1.	$32^0$33’22.077’’N	$76^0$0’26.976’’E
2.	$32^0$32’13.714’’N	$76^0$0’14.248’’E
3.	$32^0$31’18.161’’N	$76^0$0’51.956’’E
4.	$32^0$31’16.464’’N	$76^0$2’48.088’’E
5.	$32^0$32’11.784’’N	$76^0$4’18.106’’E
6.	$32^0$33’11.227’’N	$76^0$4’2.283’’E
7.	$32^0$33’36.044’’N	$76^0$4’10.416’’E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KALATOP-KHAJJIAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Name of village	Longitude (N)	Latitude (E)
1.	Lotnu	32°32'48.099"N	76° 0'30.961"E
2.	Gothlu	32°33'29.79"N	76° 0'47.432"E
3.	Motola	32°33'54.835"N	76° 0'53.196"E
4.	Kut	32°33'31.48"N	76° 2'0.221"E
5.	Lodhari	32°33'40.403"N	76° 2'46.245"E
6	Gharat Bahi	32°33'9.363"N	76° 3'14.376"E
7.	Bhang Behi	32°33'28.049"N	76° 3'26.526"E
8.	Khaltu	32°33'32.508"N	76° 3'16.049"E
9.	Routa	32°33'32.508"N	76° 3'55.319"E
10.	Benska	32°33'22.204"N	76° 3'56.185"E
11.	Khajjiar	32°33'22.204"N	76° 4'2.751"E
12.	Lahri	32°32'47.407"N	76° 3'56.60"E
13.	Lindi Behi	32°32'42.452"N	76° 4'11.06"E
14	Bhathli	32°33'1.34"N	76° 3'56.45"E
15.	Darol	32°32'10.407"N	76° 4'14.489"E
16.	Bathli	32°32'34.82"N	76°3'56.451"E
17.	Bangotgola	32°31'39.475"N	76° 2'55.412"E
18.	Pohlani Devi	32°31'16.255"N	76° 2'9.123"E

ANNEXURE–V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.

4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).

7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.12 21:53:05 +05'30'